सा.क्षे./ले.प.प्रति.-29/2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, नरेन्द्रनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, नरेन्द्रनगर के 5/15 से 8/18 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री शैलेंद्र कुमार पांडेय, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 10.09.2018 से 14.09.2018 तक श्री नीरज च्रंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक-</u>** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री टी. एस. नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा 5.5.2015 से 8.5.2015 तक सम्पन्न की गयी थी, जिसमे माह 09/2009 से 04/2015 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 5/15 से 8/18 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- नरेन्द्रनगर

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्त हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	17.01	14.53	298.42	297.19	-	-
2016-17	-	-	17.42	15.97	425.03	415.46	-	-
2017-18	-	-	21.04	20.91	486.22	482.52	-	-
2018-19 (07/2018 तक)	-	-	18.5	10.12	504.10	173.98	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नव्त हैः-शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैरस्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

जिला कमांडेंट
वैतनिक प्लाटून कमांडर
प्रधान सहायक
वरिष्ठ सहायक

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, नरेन्द्रनगर** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, नरेन्द्रनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 3/17, 3/18 एवं 8/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथासेवा शर्ते) अधिनियम, 1971(डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'अ'</u>

.....शून्य.....

भाग दो (ब)

<u>प्रस्तरः1-</u> दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किए जाने के कारण कार्यालय भवन निर्माण में विलम्ब तथा शासकीय कोष पर भविष्य में उक्त के निर्माण से निश्चित अधिभार।

कार्यालय जिला सेनानायक, होमगार्डस, टिहरी गढ़वाल, नरेन्द्रनगर पूर्व में किराए पर एवं अब मुख्य चिकित्साधिकारी आवास में अस्थाई रूप से अवस्थित है। अभिलेखों में आगे पाया गया कि नये जिला कार्यालय भवन व आवासीय भवन हेतु कमांडेंट जनरल, होमगार्डस, देहरादून द्वारा पत्रांक सीजी/2004/होगा/83-304 दिनांकित 2012 के माध्यम से जिलाधिकारी, टिहरी को तहसील नरेनद्र नगर पट्टी धमादस्यु ग्राम डोरा काडा में 0.200 हे0 भूमि उपलब्ध करने हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके सापेक्ष में जिलाधिकारी, टिहरी फरवरी 2013 में प्रस्तावित 0.200 हे0 सरकारी नजूल/भूमि जिला सेनानायक को उपलब्ध करायी गयी थी। प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार डिप्टी कमांडेंट जनरल, होमगार्डस, देहरादून द्वारा जुलाई 2013 में जिला सेनानायक को निर्देशित किया था। कि वह एक माह में जिला कार्यालय को आवासीय/अनवासीय भवन हेतु आगणन तीन निर्माण इकाईयों से प्राप्त कर निदेशालय को उपलब्ध करावे। मुख्यालय (कमांडेंट जनरल, होमगार्डस, देहरादून) द्वारा पुनः जिला सेनानायक को आदेशित किया (अगस्त 2014) कि वह आवासीय/अनवासीय भवन हेतु आगणन तीन निर्माण इकाईयों से एक माह में प्राप्त कर निदेशालय को उपलब्ध करावे ताकि समय से भवन निर्माण हेतु शासन से बजट की मांग की जा सके। लेकिन कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी तथा 09/2014 में भवन निर्माण हेतु निर्धारित मानक उपलब्ध करने हेतु मुख्यालय को लिखा गया था जिस को आतिथि तक कार्यालय द्वारा 5 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी प्राप्त नहीं किया गया है और कोई कार्यवाही भी इस सन्दर्भ में सुनिश्चित नहीं की है। जबकि परिसर न होने के कारण विगत 6 सालों से कार्यालय को तीन अलग अलग स्थानों में मजबूरी में परिवर्तित किया गया जिसमें न केवल साज सज्जा व अभिलेखों की शिफ्टिंग जिसकों नियम विरूद्ध कार्यरत स्वयं सेवक, होम गार्ड से करवाया गया था, 01/04/2016 से 04/02/2017 तक बिना किसी आदेश के दूसरे विभाग के भवन में कार्यालय चलना व वर्तमान में मुख्य चिकित्साधिकारी आवास में अस्थाई रूप से कार्यलय अवस्थित होने है जिसकों कभी भी खाली करवाया जा सकता है, तथा कार्यालय के इस प्रकरण में अरुचि दर्शाने की वजह से शासन को अब भवन निर्माण लागत में अधिक व्यय करना पड़ेगा क्योंकि अगर कार्यालय द्वारा 2013 में आगणन तैयार कर स्वीकृत हेतु भेजा गया होता तो 2013 के एस0ओ0आर0 के दर से भवन का निर्माण किया जा सकता था जबकि अब भवन निर्माण सामग्री की दर में काफी वृद्धि हुई है, जिस कारण से शासन को भवन निर्माण में अधिक भार वहन करना पड़ेगा।

उपरोक्त के संबंध में कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि 09/2014 में भवन निर्माण हेतु निर्धारित मानक उपलब्ध करने हेतु मुख्यालय को को लिखा गया था जो अप्राप्त है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा विगत पाँच वर्षों से भवन निर्माण हेतु निर्धारित

मानक मुख्यालय से प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नही किया गया था। जबकि अन्य जिलों में कार्यालय भवन नव निर्माण किए गए थे।

अतः दिशानिर्दोशों का अनुपालन न किए जाने के कारण भवन निर्माण में शासकीय कोष पर भविष्य में निश्चित अधिभार का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

Para:1- Failure to provide timely and proper/complete uniform to 364 home guard volunteers in the district.

As per Para 3.1 and 3.2 of the Compendium, Home Guards is a uniformed force and life span of a full set of uniform is one to four years.

Scrutiny of the records of the division revealed that all uniform items, as required to be provided to the volunteers, as per Para 3.1 and 3.2 of the compendium, Home Guards, were either not fully procured or issued timely to the 364 volunteers during 2015-18. It was also noticed that complete new set of uniforms were to be provided to the newly appointed 38 volunteers which had joined the Department in the year 2015 (information provided by the department) but records revealed that they were not provided whole set of uniform such as shoes, gum boot, Pent shirts pieces, suti moja, topi bej, cane etc. Thus, it may be said that the volunteers may have arranged uniforms at their own cost (in case of those volunteers which were not provided uniform/full uniform) and also it is violation of the above mentioned provision.

On thisw being pointed out the department accepted the facts and stated that efforts will be made to provide uniform soon to the volunteers who have yet to receive the uniform. The reply itself proves the audit observation.

Thus, failure to provide timely and proper/complete uniform as per Para 3.1 and 3.2 of the Compendium, Home Guards to 364 home guard volumnteers in the district is brought to the notice of the higher authorities.

STAN

प्रस्तर:2- ₹1.75 लाख के मूल्य की वस्तुओं का निष्प्रयोज्य रहना ।

सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 196 के अनुसार "Disposal of Goods: (i) An item may be declared surplus or obsolete or unserviceable if the same is of no use to the Ministry or Department. The reasons for declaring the item surplus or obsolete or unserviceable should be recorded by the authority competent to purchase the item. (ii) The competent authority may, at his discretion, constitute a committee at appropriate level to declare item(s) as surplus or obsolete or unserviceable." तथा नियम 197 में निष्प्रयोज्य वस्तुओं के disposal के संबंध में वर्णन है कि " Modes of disposal : (i) Surplus or obsolete or unserviceable goods of assessed residual value above Rupees Two Lakh should be disposed of by : (a) obtaining bids through advertised tender or (b) public auction, and (ii) For surplus or obsolete or unserviceable goods with residual value less than Rupees Two Lakh, the mode of disposal will be determined by the competent authority, keeping in view the necessity to avoid accumulation of such goods and consequential blockage of space, and, also deterioration in value of goods to be disposed of. "

कार्यालय के निष्प्रयोज्य वस्तुओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय मे 49 सामग्रियाँ निष्प्रयोज्य पडी थी, जिनमे से 11 सामग्रियों का मूल्य अंकित नहीं किया गया था, तथा शेष सामग्रियों का मूल्य ₹ 14263 था। इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक भी उक्त सामग्री को निष्प्रयोज्य घोषित नहीं किया गया था, जिससे इनके मूल्य में ह्रास हो रहा था। इसके अतिरिक्त कार्यालय में Ricoh की एक photo stat मशीन भी निष्क्रिय पड़ी हुई थी, जिसका मूल्य ₹ 1,60,877 था। इस मशीन की AMC भी नहीं की गयी थी, तथा न ही इसकी मरम्मत कारवाई गयी थी।

उपरोक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि निष्प्रयोज्य सामग्रियों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी, तथा photo stat मशीन के संबंध में बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा के दावे की पुष्टि करता है, तथा विभाग की उदासीनता को दर्शाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण- **शून्य**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, नरेन्द्रनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-**शून्य**

2- सतत् अनियमितताये:-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष/आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	कुमारी एकता उनियाल	जिला कमांडेंट	1/9/09	25/10/11
2	श्री राजीव बलोनी	जिला कमांडेंट	4/11/11	15/12/11
3	श्रीमती प्रतिमा	जिला कमांडेंट	27/12/11	1/12/13
4	डा. राहुल सचान	जिला कमांडेंट	2/12/13	3/5/14
5	श्रीमती प्रतिमा	जिला कमांडेंट	1/6/14	11/7/14
6	डा. राहुल सचान	जिला कमांडेंट	12/7/14	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला कमांडेंट, होमगार्ड्स, नरेन्द्रनगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र